

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजु गोरखपुर सहर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के परिसर में विधायक खेल स्पर्धा-दुइ हजार पचीस क विजेता लोगिन के पुरस्कार बंटलें। समारोह के सम्बोधित करत मुख्यमंत्री कहलें कि जब हमनी क नौजवान खेलिहें तबे देस खेले आ 'विकसित भारत' के परिकल्पना के साकार कइले क रास्ता सुरु होई। मुख्यमंत्री कहलें कि आवे वाले समय में ई प्रतियोगिता दुइ स्तर पर आयोजित कइल जाई।

अगली बार से ये प्रतियोगिता पहले नगरीय क्षेत्र में हम दो स्तर पर करेंगे, स्कूल स्तर पर भी और वार्ड स्तर पर भी स्कूली बच्चों के लिये चाहे वह बेसिक के हों, माध्यमिक के हों या उच्चशिक्षा के या विश्वविद्यालय के इनकी तीन चरणों में तीन प्रकार की प्रतियोगिताएं बालक और बालिकाओं में अलग-अलग खेल की प्रतियोगिताओं को तो हम सम्पन्न करेंगे ही, सम्पन्न करने के साथ वार्ड स्तर पर भी कामकाजी लोगों के लिये और जो अवकाश प्राप्त हो चुके हैं उनके लिये भी कुछ खेल-कूद की प्रतियोगिताओं को हम आयोजित करेंगे।

मुख्यमंत्री आजु भिन्हीं जनता दरसन कार्यक्रम में आइल लोगिन क फरियाद सुनि के अधिकारियन के परभावी निस्तारण क निरदेस दिहलें। उहां के आजु भिन्हीं गोरखनाथ मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक कइ के लोक मंगल क कामनों कइलीं।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन क आयोजन आवे वाला ओन्नइस जनौरी से एक्कइस जनौरी ले लखनऊ के उत्तर प्रदेश विधान भवन में होई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बतवलें कि सत्र क उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करिहें।

सर्वोच्च न्यायालय आजु दिल्ली उच्च न्यायालय के ओह आदेस पर रोकि लगा दिहलस जेहमें भाजपा से निस्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर के दुइ हजार सतरह के उन्नाव दुस्कर्मा मामिला में दीहल गइल उमिरि कैद क सजा के निलम्बित कइ दीहल गइल रहे। अदालति ई सुनिश्चित कइलस कि ऊ जेलिये में रहिहें। एगो रिपोर्ट-

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर सीबीआई की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी क्योंकि यह मामला विचार करने योग्य है। पीठ ने कहा कि सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। इस मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय हैं और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था, समाचार कक्ष से निखिल कुमार।

सर्वोच्च न्यायालय अरावली पहाड़ियन आ अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा पर बीस नवम्बर के जारी अपने आदेस पर रोकि लगा दिहले हौ। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आ न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी आ ए.जी. मसीह क अवकाश पीठि, अरावली के परिभाषा के बारे में जांचि कइल जाये वाले मुद्दा के परीक्षण बदे एगो नया बिसेसज्ञ समिति गठित कइले क आदोसो दिहले हौ।

विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत जियादेतर राज्यन के पछिला सात बरिस के औसत आवंटन के तुलना में सतरह हजार करोड़ बेसी आवंटित भइले क सम्भावना बा। भारतीय स्टेट बैंक क एगो सोध रिपोर्ट के मोताबिक अधिनियम से राज्यन के समग्र धन वितरण में सुधार होई एगो रिपोर्ट-

भारतीय स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का उद्देश्य परिवर्तनकारी पद्धतियों और रणनीतियों को एकीकृत करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं की पहचान, उत्पादक संपत्ति निर्माण, अधिक आय सृजन और एक कुशल निगरानी तंत्र से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का उद्देश्य सभी स्तरों पर रोजगार सृजन, पारदर्शिता, नियोजन और जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

अजोध्या में श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा क दुसरकी वर्षगांठ के ले के कार्यक्रम क सिलसिला चलि रहल बा। येही क्रम में ओइजा आजु से पांच दिन क संगीतमय श्रीराम चरितमानस पाठ क सुभारम्भ भइल। प्रतिष्ठा द्वादशी क मुख्य आयोजन एकतीस दिसम्बर के होई, जेहमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अउर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथो सामिल होइहें।

मौसम विभाग प्रदेश के पूरबी इलाकन में आवे वाला दुइ दिन ले घना से ले के ढेरे घना कुहेसा परले क ऑरेंज अलर्ट जारी कइले हौ। सथहीं विभाग की ओरि से कड़ेर ठंडी क धिरवनिया दीहल गइल बा। येह बिच्चे ठंडी आ कुहेसा के नाते प्रदेश के सज्जो जिलन के स्कूलन में छुट्टी घोसित कइ दीहल गइल हौ।
